DGP. Inst. 53 (31)

<u>आवश्यक / महत्वपूर्ण</u>

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग लखनऊ।

पत्र संख्या–डीजी–परिपत्र संख्या 72 /2015 दिनांकः अक्टूबर 22,2015

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / प्रभारी जनपद,
<u>उत्तर प्रदेश</u>।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम –2003 (अधिनियम संख्या 34 सन् 2003) की धारा–7(2) में प्राविधान किया गया है "No person shall carry on trade or commerce in cigarettes or any other tobacco products unless every package of cigarettes or any other tobacco products sold, supplied or distributed by him bears thereon, or on its label, the specified warning." उक्त अधिनियम की धारा 20 में दण्ड की व्यवस्था भी की गयी है। अधिनियम की धारा–20 में प्रथम बार उल्लंघन किये जाने पर **एक वर्ष का कारावास व 1,000/–रू0** के अर्थदण्ड़ का प्राविधान है। पश्चातवर्ती अपराध किये जाने पर **दो वर्ष के कारावास व 3,000/–रू0** के अर्थदण्ड़ का प्राविधान किया गया है।

2. उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 06.10.2015 को उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत की गयी है, जो निम्नवत् हैः–

"सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या–34 सन् 2003) की धारा–7 की उपधारा (2) के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना उ0प्र0 राज्य में खुली सिगरेट की बिकी पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, जो इसका उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम की धारा–20 के अधीन दण्ड़ित किया जायेगा।"

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 06.10.2015 को निर्गत उपर्युक्त अधिसूचना का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
<u>उत्तर प्रदेश</u>।